श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, अगर प्रश्न संख्या-72 भी देखें तो यह बिल्कुल लगभग यही प्रश्न हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह जो फॉरेन टेलविजन के माध्यम से चैनल चल रहे हैं जैसे डिस्कवरी हैं, उसके साथ-साथ एच.बी.ओ. हैं, ये इस प्रकार के जो चैनल चलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे जो चैनल अभी चल रहे हैं और जिस पर आपने कहा कि हर एक प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी उस पर कार्रवाई कर सकता हैं और इसमे संशोधन करने की बात भी पिछले सत्र में कही गई थी। तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के जो चैनल आज चल रहे हैं और सब की निगाह में डिस्कवरी, टेन स्पोट्स, स्टार नैटवर्क, एच.बी.ओ. इत्यादि समाचार पत्रों में लगातार प्रचार होने के बाद भी क्या आपका विभाग इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए तत्परता दिखाएगा?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सर, मैंने पहले ही आपके माध्यम से सदन को सूचित किया कि जहां तक अपिलंकिंग होकर चैनल यहां आकर डाउन लिंकिंग होता हैं, उसकी रोकथाम के लिए मैंने जो रजिस्ट्रेशन में रूल्स लागू किया हैं, डाउन लिंकिंग गाइड लाईस में, गाइड लाईस को और मजबूत किया हैं कि अगर हमारे कंटेटस के खिलाफ कोई चीज आ जाए तो उसको रोकना पड़ेगा केबल नेटवर्क रूल्स के तहत। फिर भी इसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो हमारा इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स के बारे में चर्चा कर रहा हैं। कोई खास कदम जिसके लिए मैं तैंयारी कर रहा हूं और जरूर सदन के सामने सूचित करने के लिए मैं आ जाऊंगा।

श्री सभापति :माननीय मंत्री महोदय, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और जिस तरह से प्रश्नों की सूची बहुत हैं ....(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा : महोदय, इनका मंत्रालय इस बात को देख ले, क्योंकि रोजाना चैनल में दिखाया जा रहा हैं, इसमें और किसी जांच की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री सभापति : नहीं, खुद भी देखतें होंगे, परेशान होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर सदन की इच्छा हो तो यह बहुत इमपोर्टेट इश्यू हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करवा दें।

अवैध खनन

*66. **श्री सुरेन्द्र लाठ** : †
श्री कृपाल परमार :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में अवैध खनन गतिविधियां चल रही हैं,

† सभा में यह प्रश्न सुरेन्द्र लाठ द्वारा पूछा गया

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितनी आर्थिक हानि हुई,

(घ) अवैध खनन गतिविधियों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता हैं,और

(ड) सरकार द्वारा अवैघ गतिविधियों से निपटने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ड) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

(क) कुछ राज्यों ने अवैध खनन की घटनाओं की जानकारी दी हैं।

(ख) और (ग) चूंकि खनिजों पर राज्यों का स्वामित्व हैं इसलिए इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती हैं।

(ग) खुले खनन से वृक्षो के कटाव, भूमि की ऊपरी परत का हटना और भूमि की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ आस-पास की वायु और जल प्रदूषण आदि के रूप से पड़ने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभाव शामिल होते हैं।

(ड) चूंकि खनिजों पर राज्यों का स्वामित्व हैं, इसलिए अवैध खनन/चोरी को रोकने का दायित्व राज्य सरकारों का हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम ,1957 के अंतर्गत राज्य सरकारें अवैध खनन व चोरी रोकने के नियम बनाने के लिए सक्षम हैं।

Illegal Mining

†*66.SHRI SURENDRA LATH:††
SHRI KRIPAL PARMAR:

Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a)whether illegal mining is being carried out in various parts of the country;

(b)if so, the details thereof;

(c)the financial loss suffered as a result thereof during the last three years;

† Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Surendra Lath.

(d) the impact of illegal mining activities on the environment; and

(e) the steps taken/to be taken by Government to deal with such illegal activities?

THE MINISTER OF MINES (SHRI SIS RAM OLA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Some states have given information regarding instances of illegal mining.

(b) and (c) As the ownership of minerals is with the states, detailed information in this regard is not maintained centrally.

(d) Opencast mining involves environmental implications by way of deforestation, removal of topsoil, degradation of land as well as ambient air and water pollution etc.

(e) As the ownership of minerals is with the states, the responsibility of checking illegal mining/pilferage rests with State governments. Under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, State governments are competent to formulate rules for prevention of illegal mining/pilferage.

श्री सुरेन्द्र लाठ : सभापति महोदय, अवैध उत्खनन केवल एक प्रदेश तक सीमित नही हैं, यह देश के प्रत्येक हिस्से में हो रहा हैं, उड़ीसा,बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण के राज्य में यह ज्यादा अधिक हो रहा हैं और यह बहुत चिन्ता का विषय हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास ऐसी सूचना हैं कि उड़ीसा में अनेक स्थानों पर कोयला और मेग्जीन का अवैध उत्खनन हो रहा हैं तथा प्रदेश सरकार ने अवैध उत्खनन करने वाली यूनिटों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया हैं? यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की हैं?

श्री शीश राम ओला : सभापति महोदय, भारत सरकार के माइंनिंग मंत्रालय के पास केवल दस ऐसे मेजर खनिज हैं जो राज्य सरकार सिफारिश करती हैं, उसके बाद माइनिंग लीज के लिए राज्य सरकारो को अप्रूव करके भेज देती हैं। छोटे (माइरट) खनिजों का कोई स्वामित्व भारत सरकार के पास नहीं हैं, यह संबंधित राज्य सरकारों के पास हैं। फिर भी हमने संबंधित राज्य सरकारो से कहा कि वे एक ऐसा कार्य दल बनाएं, जिसमें इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स का भी प्रतिनिधित्व हो और वह, जहां-जहां भी अवैध खनन हो रहे हैं, उन पर छापा मारे और

पकड़े। इस साल जनवरी, जुलाई और अक्तूबर में संबंधित राज्यों के खनिज –सचिवों से तीन मीटिग्स हो चुकी हैं जिनके माध्यम से उनसे कहा गया हैं कि अवैध खनन न हो आगे भी हम इसके कोशिश कर रहे हैं, संबंधित मुख्यमंत्रियों को भी लिख रहे हैं। हमारा मंत्रालय, सैक्रेटरिएट उनके संबंधित खनिज सैक्रेटरीज को लिखा हैं। मैं आशा करता हूं कि जो स्थिति हैं, उसको समझते हुए माननीय सदस्य इस उत्तर से संतुष्ट होंगे और जहां तक कोयले का संबंध हैं, कोयले का संबंध मेरे से नहीं हैं, उसके लिए अलग विभाग हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, एक तो आप यह बता दीजिए कि आपने इतने प्रयत्न किए, उसका नतीजा कितना निकला,कितने छापे पड़े?

श्री शीश राम ओला : सर, कुल मिलाकर ....(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ : महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी हैं।

श्री सभापति : एक मिनट बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए। आपका दूसरा सप्लीमेंटरी आ जाएगा।

श्री नीलोत्पल बसु : चेयरमैन साहब ने एक सप्लीमेंटरी कर दिया हैं।

श्री सभापति :आपका भी हैं।

श्री शीश राम ओला : सर, मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया हैं कि यह संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारो का हैं ...(व्यवधान)... मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : वह अधिकार आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

श्री शीश राम ओला : सर, मेरे पास उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़े आने पर आपको बता दूंगा।

श्री सुरेन्द्र लाठ : महोदय, क्या यह सच हैं कि राज्य सरकारों द्वारा कुछ temporary permits खनन के लिए दिए जा रहे हैं और क्या यह भी सत्य हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन temporary permits के दुरूपयोग तथा उत्खनन को रोकने के लिए temporary permission को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं? अगर दिए हैं तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की हैं और कितनी संस्थाओं के temporary permission समाप्त किए गए हैं?

श्री शीश राम ओला : कृपया एक बार फिर से बता दें तो अच्छा होगा कि आपने क्या पूछा हैं। मैं चेयरमैंने साहब को उत्तर दे रहा हूं। उनके आदेश का ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ : महोदय, राज्य सरकारें कई संस्थाओं को temporary उत्खनन के लाइसेंस दे रही हैं और क्या यह सच हैं कि इन सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरूपयोग के कारण लाइसेंस देने पर

प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया हैं? अगर ऐसा हैं तो सरकार ने कितने ऐसे temporary permits को निरस्त किया हैं?

श्री शीश राम ओला : सर, यह राज्य सरकार का अधिकार हैं, मेरा नहीं हैं इसलिए इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार : सभापति महोदय, अवैध खनन और उसके उपंरात पर्यावरण की उत्पन्न होती हुई स्थिति के संबंध में मात्र राज्य सरकारो पर केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर चैन से नहीं बैठ सकती। बार-बार इस सदन में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और यही साइक्लोस्टाइल जवाब आता हैं। पिछले सत्र में अनस्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 1328, जो छत्रपाल सिंह लोधा जी और जयन्ती लाल बरोट जी ने पूछा था, उसका जवाब भी यही था। इसी प्रकार प्रश्न संख्य 2111 जो बहन कुमकुम राय ने पिछली बार पूछा था, उसका भी यही जवाब था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो बार-बार आप यह उत्तर दे रहे हैं कि माइन एंड मिनरल डेवलमेंट रेगूलेशन ऐक्ट 1950 के तहत राज्य सरकारों को शाक्तियां प्रदान की गयी हैं, लेकिन जब इन शक्तियों का या तो उचित उपयोग नहीं होता हैं या उनका दुरूपयोग होता हैं, तो क्या केन्द्र सरकार उसमें इंटरफीयर करने की कोशिश नहीं करती? मैंने प्रश्न किया था कि क्या देश के कई भागों में अवैध खनन गतिविधियां चल रही हैं? मंत्री जी ने उत्तर दिया हैं कि हां,कुछ राज्यों से अवैध खनन घटनाओं की जानकारी दी गई हैं, लेकिन किन राज्यों से क्या जानकारिंया दी गई हैं, उनको मंत्री जी ने यहां पर देने की कोशिश नहीं की हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में हिमाचल प्रदेश के चक्की रिवर के, कृपया आप नोट कर लीजिए, फिर बाद मे मत पूछिएगा कि मैं समझा नहीं, चक्की रिवर हिमाचल प्रदेश के बार्डर पर पड़ती हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश के बोर्डर पर पंजाब के क्रैशर वालो ने लगभग डेढ़-स्क्वेयर किलोमीटर पर अवैध खनन जारी किया हुआ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या वे इस अवैध खनन की जानकारी दोनो प्रदेश सरकारों से लेकर ...(व्यवधान).... सदन को देने की कोशिश करेंगे?

श्री सभापति :ठीक है, ठीक हैं।

श्री शीश राम ओला : महोदय, मैंने पहले भी बहुत स्पष्ट अर्ज की हैं। सभापति महोदय, मेरे पास, भारत सरकार के पास, माइनिंग मंत्रालय के पास एसबेस्टस, बॉक्साइट क्रोम ओर, कॉपर ताम्बा, गोल्ड, ऑयरनओर, शीशा, मैग्नीज और प्रीशिन्स स्टोन, हीरे जवाहरात आदि दस ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।

श्री शीश राम ओला : ये दस खनिज हैं और इनके अलावा जो खनिज हैं उन पर राज्य सरकारों

का सम्पूर्ण स्वमित्वता का अधिकार हैं। यह मेरे पास नहीं हैं, भारत सरकार के पास नहीं हैं, उनको रोकने का कार्य, उनको लाइसेंस देने का कार्य, राज्य सरकारें करती हैं।

श्री सभापति : आप उनसे सूचना भी नहीं मंगवा सकते।

श्री शीश राम ओला : सभापति जी, मैंने आप से पहले भी निवेदन किया हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप बैठिए, बैठिए। ....(व्यवधान)... आप बैठिए, बैठिए। मंत्री जी आप बोलिए।

श्री शीश राम ओला : महोदय, मैने आपके माध्यम से निवेदन किया हैं कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि अवैध खनन न हो। हम इसके लिए राज्य सरकारों से कह रहे हैं। उसमें आई.बी.एम. का एक प्रतिनिधि भी रहे, हम यह कोशिश कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। श्री नीलोत्पल बसु।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, through you, I would like to draw the attention of the Minister towards a serious situation arising out of this totally non-uniform Mineral and Mining policy that the Government is having. Now, different minerals have got different policies. States are having certain minerals but on that, total control is of the Central Government. For some others like iron-ore, there is a large amount of right given to the State Governments and the State Governments are using it to deny linkage to that ore so that industries cannot come up in other parts.

Will the Government of India rethink about this entire policy so that the mineral wealth of the country can be used by all the States on a harmonious basis? Otherwise there will be a lot of tension between the States.

श्री शीश राम ओला : सभापति महोदय, होदा कमेटी प्लानिंग कमीशन ने तय की हैं। वह अध्ययन कर रही हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो निर्णय होगा, यदि माइंनिग एक्ट में कोई तबदीली की जरूरत हैं या उसे संसद में पुनः लाने की जरूरत है तो निश्चित रूप में लाया जाएगा।

श्री रूद्रनारायण पाणि : सभापति महोदय, मंत्री महोदय बहुत कद्दवार नेता हैं और मैं समझता हूं कि वे बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए शायद उनके लिए यह मंत्रालय छोटा हैं और ये गंभीर नहीं हैं। महोदय, इस सरकार का यह उन्नीसवां महीना चल रहा हैं और अभी तक परामर्शदात्री समिति

गठित नहीं हुई हैं।इस मिनिस्ट्री आफ माइन्स की कंसलटेटिव कमेटी अभी तक गठित नहीं हुई हैं। मैने पिछले सत्र में विशेष उल्लेख में भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। महोदय, मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति अभी तक क्यों नहीं गठित हुई हैं?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Puppet shows

*63. SHRIMATI VANGA GEETHA: Will the Minister of CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government had held any puppet shows for the children on the occasion of the International Puppetry Day recently;

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount incurred; and

(d) the steps being taken by Government to increase the awareness about the puppet shows among kids?

THE MINISTER OF CULTURE (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) and (b) Yes, Sir. On the occasion of International Puppetry Day, a festival and exhibition 'Putul Yatra' was organised on Indian puppets in Mumbai. The Festival had as many as ten performances of puppeteers from all over India. A workshop on 'Role of Puppetry in Education' was also organised during this occasion at Guwahati.

(c) An amount of Rs. 23.62 lakhs was incurred on these programmes.

(d) Workshops and training programmes have been conducted by Sangeet Natak Akademi in the field of puppetry providing a platform for children to learn manipulation techniques, making of puppets, singing of folk songs etc. Awards to puppeteers, grants to institutions, documentation, exhibitions and festivals of puppetry are included in Akademi's regular support to puppetry. Akademi also holds monthly shows of puppetry and interaction in Delhi and has screened films to increase awareness about the art.

The Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) has been offering Puppetry as a teaching tool in order to disseminate information